न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 50 / 2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024 / 216

अपीलाण्ट :–
श्री घेवरचंद पुत्र सुखदेव, जाति सोनी, निवासी– मकान नम्बर 13, पिंजारो का बास, भैरूघाट पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. श्रीमती निखिलेश कंवर पत्नी स्वर्गीय हीरसिंह
2. तनुश्री (नाबालिग) पुत्री स्वर्गीय श्री हीरसिंह
3. ओमकारसिंह नाबालिग पुत्र स्व. श्री हीरसिंह, जातिगण राजपुत, जरिये प्राकृतिक संरक्षिका रेस्पो. संख्या 01 माता श्रीमती निखिलेश कंवर पत्नी स्व. हीरसिंह निवासीगण– मंण्डली खुर्द
4. श्रीमती मदन कंवर पत्नी स्व. हणुतसिंह
5. अनेक कंवर पुत्री स्व. हणुतसिंह
6. मूल कंवर पुत्री स्व. हणुतसिंह
7. प्रकाश कंवर पुत्री स्व. हणुतसिंह
8. सुरज कंवर पुत्री स्व. हणुतसिंह
9. विनोद कंवर पुत्री स्व. हणुतसिंह
10. डिम्पल कंवर पुत्री स्व. हणुतसिंह
11. तहसीलदार पाली, तहसील पाली, जिला पाली राजस्थान।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मदन लाल सोनी, नवीन दवे
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 27.01.2025

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध मौजा ग्राम मण्डली खुर्द, पटवार हल्का मण्डली खुर्द, तहसील पाली के नामान्तरकरण संख्या 2114 दिनांक 01.07.2021 तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे वक्त बहस उपस्थित हुए व रेस्पोडेण्ट्स बाद तामिल वक्त बहस बार–बार आवाजे दिलाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित आये। बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा ग्राम मण्डली खुर्द, पटवार हल्का मण्डली खुर्द तहसील पाली में खसरा संख्या 720 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि का स्वर्गीय हणुतसिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 02.11.2018 को अपने स्वयं की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि का दो बीघा हिस्सा जो लगभग 1 / 8 हिस्सा का बेचाण द्वारा हस्तातंरण

किया गया तब से लगाकर उक्त भूमि पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है। उक्त भूमि का पंजीकृत बेचाण उप पंजीयक (द्वितीय) पाली के क्रम संख्या 201803472101122 पर पंजीयन किया गया एवं वक्त खरीद के पश्चात बार–बार जाने पर भी हल्का पटवारी द्वारा कहा गया की नामान्तरकरण स्वीकृत होने पर आपको सूचित कर दिया जायेगा परन्तु नामान्तरकरण स्वीकृत नही किया गया। इसी दौरान दिनांक 23.07.2020 को नामान्तरकरण संख्या 2078 विरासत का हणुंतसिंह (हनवंतसिंह) के स्वर्गवास के बाद का उनके खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि का उनके वारिसान के नाम विरासत का जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात रेस्पो. संख्या 04 से रेस्पो. संख्या 10 ने नामान्तरकरण संख्या 2078 से विरासत में प्राप्त सम्पूर्ण हक हिस्से को अपने भाई हीरसिंह के नाम हकतर्क कर जैर नामान्तरकरण संख्या 2114 दिनांक 01.07.2021 स्वीकृत करवाया जबकि हणुतसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपने खातेदारी भूमि में से 02 बीघा भूमि का विक्रय अपीलाण्ट को कर दिया था जिससे रेस्पोडेण्ट्स का वैसे ही सम्पूर्ण कृषि भूमि से हक समाप्त हो जाते है जिससे जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तकरण विधि विरूद्ध व कूटरचित होने से खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में हमारे द्वारा न्यायालय हाजा के अपील संख्या 49/2024 एवं विवादित नामान्तरकरण संख्या 2114 जिससे मृतक हीर सिंह जो कि मृतक रेस्पो. संख्या 01 से रेस्पो. संख्या 03 के पिता है जिसमें से भूमि आई है उसमें से जिन व्यक्तियों के नाम मृतक हणुतसिंह से भूमि आई है, उक्त नामान्तरकरण संख्या 2078 को अपास्त कर न्यायालय हाजा के अपील संख्या 49/2024 में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति–प्रेषित किया गया है अर्थात् इस प्रकरण में आराजियात हणुतसिंह की विरासत से जिनको प्राप्त होकर हक–तर्क से हीरसिंह के नाम आई है, उसमें हणुतसिंह के वारिसान के नाम भूमि आने को ही हमारे द्वारा विधिक नहीं माना गया है तो इस स्थिति में सम्पूर्ण भूमि का हक–तर्क किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है तथा अपीलाण्ट द्वारा मृतक हणुतसिंह से क्रय की गई भूमि का निष्पादन जो अपील संख्या 49/2024 में विवेचित किया गया है। उसका विश्लेषण एवं निर्णय किया जाना हणुतसिंह के वारिसान द्वारा हक–तर्क सम्पूर्ण भूमि में किया जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। अतएव अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.07.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रति–प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकरण एवं नामान्तरकरण संख्या 2078 दिनांक 23.07.2020 में वर्णित भूमि से संबंधित सभी पक्षकारों की उचित जांच कर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक **27.01.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली